न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंशदीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 11/2020
आर.सी.एम.एस. नम्बर : 2020/00090

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
अर्जुनसिंह पुत्र वेनसिंह जाति राजपूत निवासी कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली		राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से एडवोकेट श्री मनीष राजपुरोहित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 22.06.2020

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, सुमेरपुर के न्यायालय के प्रकरण संख्या 609/2020 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बअनवान सरकार बनाम अर्जुनसिंह आदेश दिनांक 02.03.2020 के विरुद्ध पेश की। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बेदखली एवं तीन माह के सिविल कारावास का आदेश पारित कर विधिक एवं तथ्यों की भूल की है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट के विरूद्ध एक तरफा पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अप्रार्थी को नही मिला न ही उसकी पत्नी को नोटिस मिला इसलिए प्रकरण की जानकारी अपीलाण्ट को हुई ही नही इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय अपास्त करने हेतु निवेदन किया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पुर्व अपीलाण्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु समुचित अवसर नही दिया गया। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश एक दुषित आदेश होने से खारिज योग्य है। अपीलाण्ट अर्जुनसिंह द्वारा खसरा नम्बर 581 रकबा 0.16 हैक्टेयर किस्म जवाई नहरी कि आराजी पर कभी भी अतिक्रमण नही किया अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि उक्त तथाकथित सरकारी भूमि के पास ही स्थित है। जिसपर अपीलाण्ट काबिज भी है। जिसका सीमा ज्ञान नही होने से भूलवश ऐसी स्थिति हो सकती है कि अपीलाण्ट का सरकारी भूमि पर अतिक्रमण माना जा रहा है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही हकाराम सिरवी

जिला कलेक्टर, पाली

जो अपीलाण्ट अर्जुनसिंह से द्वेष रखता है उसकी शिकायत पर की गई है। इस प्रकरण में भी पक्षकार बनने हेतु अपना प्रार्थना पत्र पेश किया था। जो इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध तथ्य साबित नही किये गये है। जबकि सिविल न्यायालय की सजा जैसे कठोर कारावास से पुर्व अधीनस्थ न्यायालय को पश्चातवृति अतिक्रमण करने, पुर्व में भौतिक रूप से बैदखल करने एवं नोटिस की सम्यंक तामिली बाबत तथ्य साबित करमे चाहिए थे जबकि इन सब प्रक्रिया का अभाव है। अपीलाण्ट के विरूद्ध पश्चावृति अतिक्रमण का प्रकरण गलत रूप से दर्ज किया गया है। अर्जुन सिंह को सीमा ज्ञान नही होने की वजह से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अर्जुनसिंह का कब्जा सरकारी जमीन पर माना जाकर जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह निरस्त योग्य है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया गया माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश क्रमांक राम/न्याय/स्था/प–88/2012/7689–97 दिनांक 18.06.2020 के अनुसार कोविड–19 के कारण दिनांक 23.03..2020 से 29.06.2020 तक न्यायिक कार्य स्थगित रहने से उक्त अवधि परिसीमा गणना से बाहर रहेगी। अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.03.2020 को जारी किया गया। तथा अतः उक्त आदेश के मध्यनजर यह अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह कथन सही है की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा निर्णय पारित किया गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दो बार उक्त आराजी पर पश्चातवृति अतिक्रमण करने बाबत नोटिस जारी किया गया प्रथम बार तामील, अदम तामील अप्राप्त होने पर पुनः नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस अपीलाण्ट की पत्नी चम्पा कवंर द्वारा तामील किया गया जो नोटिस के पृष्ठ भाग पर चम्पा कंवर के अंगुठा निशान से स्पष्ट है। किसी भी प्रकरण में अप्रार्थी की पत्नी द्वारा नोटिस तामील किया जाता है तो घर परिवार की वयस्क सदस्य होने के कारण उसे तामील माना जाता है। इस प्रकरण में अपीलाण्ट कि पत्नी द्वारा नोटिस तामील किया हुआ है। तथा उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामील मानकर जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत पारित किया गया है। इस प्रकार वकील अपीलाण्ट का यह कथन सर्वथा मिथ्या है कि नोटिस न तो अपीलाण्ट को मिला न ही उसकी पत्नी को मिला। जहां तक सुनवाई का अवसर देने का प्रश्न है अपीलाण्ट न्यायालय में उपस्थित ही नही हुआ तो साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसको दिया जाता ऐसी स्थिति में एक तरफा कार्यवाही कर जो आदेश पारित किया गया है। वह न्यायोचित है। वकील अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि उक्त अतिक्रमित आराजी (सरकारी भूमि) के पास ही स्थित है। जिस पर अपीलाण्ट काबिज भी है। जिसका सीमा ज्ञान नही होने से भूलवश ऐसी स्थिति हो सकती है। इस

जिला कलेक्टर, पाली

सन्दर्भ में अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमित आराजी खसरा नम्बर 581 रकबा 0.16 किस्म जवाई नहर के पास उसकी खातेदारी भूमि स्थित है। इस संबध में किसी प्रकार का रेकर्ड, सबूत पेश नही किया गया। न ही अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में इस बाबत किसी प्रकार का रेकर्ड विद्यमान है। अपीलाण्ट द्वारा सीमांकन बाबत किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अगर अपीलाण्ट को अपनी खातेदारी का सीमा ज्ञान नही है तो नियमानुसार सीमा ज्ञान का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि का सीमांकन करवाना चाहिए था। अपीलाण्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के सीमाकंन बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया हो इस सम्बन्ध में भी किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य सबूत इस न्यायालय एवं अधिनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किये गये है। सीमाज्ञान का समाधान सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर नही किया जा सकता है। गतवर्ष भी अपीलाण्ट के विरूद्ध प्रकरण संख्या 305/2019 दर्ज कर जुर्माना आरोपित किया गया था एंव जमीन उक्त आराजी से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश किये गये थे जिसकी पालना में पटवारी हल्का कोसेलाव द्वारा दिनांक 30.12.2019 को अर्जुनसिंह को उक्त सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 581 रकबा 0.16 हैक्टेयर किस्म जवाई नहर से भौतिक रूप से बेदखल किया गया था जिस पर अतिक्रमी अर्जुनसिंह स्वंय के हस्ताक्षर है। जो पत्रावली संलग्न बेदखली फर्द से स्पष्ट है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाकर तहसीलदार, सुमेरपुर के न्यायालय के प्रकरण संख्या 609/2020 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बअनवान सरकार बनाम अर्जुनसिह आदेश दिनांक 03.02.2020 में पारित आदेश को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ प्राप्त मूल रेकर्ड तहसीलदार, सुमेरपुर को पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशंदीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली